प्रार्थनापत्र सं. 5/2019 सरकार V/s ओमप्रकाश वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/8/25	पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाए उपस्थित। दौराने बहस पेरोकार सरकार का कथन रहा कि आवंटित भूमि खसरा सं. 158/234 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन निरस्त किया जावें, जबकि वकील अप्रार्थीगण का तर्क रहा कि आवंटीगण का 20 साल से भी अधिक वर्षों से कब्जा चला आ रहा है, आवंटी ओमप्रकाश, बिशनलाल को दिनांक 09/02/2021 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। ऐसे में भूमि आवंटन नियम 14(4) LR एक्ट के तहत यह कार्यवाही खातेदारान के विरूद्ध पोषनीय नही होने से खारिज की जावें। अपने कथन के समर्थन में वकील अप्रार्थीगण द्वारा RRD 2013 पेज 479 एवं RRD 2011 पेज 57 की नजीरें पेश की गई। न्यायालय द्वारा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2073-2076 के अवलोकन से ग्राम बिजनावर, तहसील बून्दी की कृषि भूमि खसरा सं. 158/234 रकबा 0.5261 हैक्टेयर पर ओमप्रकाश, बिशनलाल पि. रामनाथ खातेदार दर्ज रेकार्ड होना प्रकट है। खातेदारी अधिकारों को आवंटन	

कार्यालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

प्रार्थनापत्र सं. 5/2019 बउनवान सरकार बनाम ओमप्रकाश वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नियम 14(5) राज० भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कार्यवाही में समाप्त नहीं किया जा सकता है, जैसा कि RRD 1987 पृष्ठ सं. 359 एवं 371 में उद्धरित हैं। ऐसे में खातेदारान के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के आवंटन नियम 1970 के नियम 14(5) के तहत कार्यवाही चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थनापत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। परन्तु यहाँ उल्लेखनीय है कि तहसीलदार बून्दी द्वारा हस्तगत कार्यवाही पत्र क्रमांक TRA/2018/904 दिनांक 29.11.18 के संलग्न आवंटन निरस्ती हेतु प्रेषित की है। तत्समय पत्रावली के संलग्न जमाबंदी संवत् 2073-2076 में खसरा सं. 158/234 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा ग्राम बिजनावर पर ओमप्रकाश, बिशनलाल गैरखातेदार दर्ज रेकार्ड थे। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 25/6/25 की सुनवाई के दौरान उनको खातेदारी प्राप्त होने के तथ्य प्रकट किये गये। इस बाबत अप्रार्थीगण द्वारा पेश की गई जमाबंदी संवत् 2073-76 के अवलोकन से नामान्तकरण सं. 598 दिनांक 09/02/2021 से ओमप्रकाश एवं बिशनलाल को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिया जाना प्रकट है। इस प्रकार तहसीलदार बून्दी द्वारा पहले से ही इस न्यायालय में आवंटन निरस्ती की कार्यवाही पेश की हुई थी, इसके बावजूद	

प्रार्थनापत्र सं. 5/2019 सरकार V/s ओमप्रकाश वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दौराने कार्यवाही अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का अधीनस्थ न्यायालय का कृत्य दोषपूर्ण प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में जांच एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग कार्यालय हाजा को निर्णय प्रति भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे। आदेश आज दिनांक 05/8/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। जिला कलेक्टर; बून्दी	

जिला कलेक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते